# प्राचार्य का कार्यालय, पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना।

## कार्यालय आदेश

पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना के विभिन्न विभागों के शैक्षणिक पदों पर संविदा के आधार पर चयन हेतु गठित समिति की अनुशंसा एवं स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक–74(2) दिनांक–25.01.17 के कंडिका–4(v)(घ) एवं 4(vi) के आलोक में मानदेय के आधार पर निम्न प्रकार नियुक्त किया जाता है–

| क्रम सं0 | दंत चिकित्सक का नाम | पद का नाम | विभाग | आरक्षण कोटि | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | डा0 अनुराग राय | प्राध्यापक (संविदा) | ऑर्थोडौंशिया विभाग | सामान्य | |

चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन की जा रही है–

1. संविदा के आधार पर नियुक्ति, नियुक्ति की तिथि से 1(एक) वर्ष या उन पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो के लिए अनुमान्य होगी। यदि नियमित नियुक्ति नहीं होती होती है तो इसे अगले एक वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा।
2. संविदा के आधार पर अनुबंधित व्यक्तियों को एक माह की नोटिस अथवा एक माह का मानदेय देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
3. संविदा के आधार पर अनुबंधित उम्मीदवारों को इस आशय का Indemnity Bond संलग्न करना अनिवार्य होगा कि वे नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे।
4. संविदा/मानदेय के आधार पर अनुबंधित दंत चिकित्सक शिक्षकों को समेकित एकमुश्त संविदा/मानेदय राशि निम्न प्रकार देय होगा–**(क) प्राध्यापक–₹ 1,32,500/– प्रतिमाह**
5. संविदा अनुबंधित दंत चिकित्सक शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार का भुगतान देय नहीं होगा तथा वे नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे।
6. संविदा के आधार पर कर्मचारियों का कोई नियोजन नहीं होगा, बल्कि स्वीकृत मानेदय के विरूद्ध उन्हें निर्धारित अवधि के लिए कार्य करने हेतु अनुबंधित किया जायेगा।
7. इन्हें संविदा के आधार पर औपबंधिक रूप से इस शर्त के साथ नियुक्त किया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग से इन पदों के आरक्षण कोटि अथवा अन्य किसी बिन्दु पर अन्यथा आदेश/निर्देश प्राप्त होता है तो योगदान की तिथि से ही इनकी सेवा स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा उक्त अवधि हेतु प्राप्त मानदेय की राशि इन्हें एकमुश्त वापस करनी होगी। इस आशय का वचनबंध (Undertaking) योगदान के समय समर्पित करना आवश्यक होगा।
8. योगदान के संमय चयनित दंत चिकित्सक शिक्षक को सभी प्रमाण पत्रों/अंक पत्रों की मूलप्रति एवं स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. **डा0 अनुराग राय की औपबंधिक रूप से नियुक्ति इस शर्त के साथ की जा रही है कि नियुक्ति की तिथि से एक माह के अन्दर बिहार राज्य दंत परिषद् से निबंधन कराकर निबंधन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।**

ह0/–
**(डी0 के0 सिंह)**
प्राचार्य
पटना दन्त महाविद्यालय एवं अस्पताल,
बॉकीपुर, पटना–04

ज्ञापांक **980** पटना, दिनांक **16.08.17**

**प्रतिलिपि**–प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपि**–संबंधित दंत चिकित्सक शिक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपि**–कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपि**–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपि**–लेखा शाखा, पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

ह0/–
प्राचार्य
पटना दन्त महाविद्यालय एवं अस्पताल
बॉकीपुर, पटना